नागरिकशास्त्र का अर्थ, प्रकृति तथा क्षेत्र
[MEANING, NATURE AND SCOPE OF CIVICS]

"Civics is that part of political science which is concerned with the rights and duties of citizenship." —**Oxford Dictionary**

विषय-प्रवेश

परमशक्ति ने तीन प्रकार के जगत–प्राणी जगत, वनस्पति जगत तथा खनिज जगत का निर्माण किया है। प्राणी जगत में मानव उसकी सर्वोत्तम कृति है। मानव के निम्न पक्ष माने जाते हैं–

(अ) जैविक (Biological) पक्ष

(ब) मनोवैज्ञानिक पक्ष (Psychological aspect)

(स) दार्शनिक एवं आध्यात्मिक (Philosophical and Spiritual) पक्ष तथा

(द) समाजशास्त्रीय (Sociological) पक्ष।

जैविक पक्ष के अन्तर्गत उसकी शारीरिक संरचना आती है जिसकी अभिवृद्धि (growth) होती है। मनोवैज्ञानिक पक्ष मनस् (Mind) की विभिन्न प्रक्रियाओं के प्रस्फुटिकरण में सहायक होता है। साथ ही मानव के व्यक्तित्व के निर्माण में भाग लेता है। दार्शनिक पक्ष उसे खोजने तथा चिन्तन करने के लिये तत्पर बनाता है कि वह स्वयं क्या है? उसे किसने बनाया और क्यों बनाया? शरीर तथा मन को कौन संचालित करता है? आत्मा की खोज उसे आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है। आध्यात्मिकता परम सुख की प्राप्ति का प्रमुख साधन है। समाजशास्त्रीय पक्ष उसमें लगाव की भावना का विकास करता है। यह पक्ष उसे पशु से मानव बनाता है। साथ ही वह उसे सुसंस्कृत बनाता है।

यूनानी दार्शनिक **अरस्तू** (Aristotle) का कथन है कि, **"मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।"** (Man is a social animal.)। वह संसार में अकेला आता है, पर एकाकी रहकर जीवन नहीं बिताता। उसका पालन-पोषण समाज में होता है और बड़ा होकर वह समाज में ही रहता है। इस कारण उसके अच्छे-बुरे कार्यों का दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ, एक मनुष्य ने केला खाया और उसके छिलके को सड़क पर फेंक दिया, किसी अन्य मनुष्य का पैर उस छिलके पर पड़ गया और वह गिर पड़ा और उसकी पैर की हड्डी टूट गयी। यदि मनुष्य ग्राम या नगर में न रहकर अकेले जंगल में रहता तो वह केले के छिलके को कहीं भी फेंक सकता था। परन्तु जब हम समाज में रहते हैं तो स्वभावतः हमारे कार्यों का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है।

'सामाजिक' शब्द मनुष्य में निहित सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति का द्योतक है। मनुष्य की सामाजिकता के निम्नांकित कारण हैं—

(अ) यह मानव का स्वभाव है कि वह समाज में रहे। जैसे बोलना, विचार करना तथा वाणी द्वारा अपने विचारों को प्रकट करना मानव का स्वभाव है, वैसे ही अकेले न रहकर समुदाय बनाकर रहना भी मानव की प्रकृति है।

(ब) जीवन की आवश्यकताएँ (भूख, प्यास, वस्त्र आदि) भी मनुष्य को इस बात के लिये विवश करती हैं कि वह समुदाय में संगठित हो। एकाकी रहता हुआ मनुष्य न तो अपनी रक्षा कर सकता है और न जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है।

'प्राणी' शब्द स्वार्थपरता का द्योतक है। मनुष्य अन्य दूसरे प्राणियों पर अपने 'स्व' (Self) की प्रतिष्ठा जमाता है। वस्तुतः मनुष्य में 'स्वाग्रह' (Self assertion) तथा 'आत्मलीनता' (Self absorption) की मूल प्रवृत्तियाँ इतनी प्रबल हैं कि वह अपने लाभ के लिये समाज का शोषण करने लगता है या जब कभी वह समाज को अपने आदर्शों एवं साध्यों की पूर्ति में, चाहे वे वास्तविक हों या काल्पनिक, बाधक समझता है तब वह उसकी अवहेलना करता है। परन्तु मानव में सर्वोच्चात्मा भी होती है जो उसे अपनी इच्छाओं की अनियंत्रित रूप में पूर्ति के लिये रोकती है। इसके अतिरिक्त उसमें समाज में रहने के लिये जन्मजात अनिवार्य तत्त्व होता है जो उसमें सामूहिक चेतना तथा सहयोगी भावना विकसित करता है जिससे वह अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक-दूसरे के साथ मिल-जुलकर संगठित रूप में रहता है। **लीकॉक** महोदय ने उक्त तथ्य को इन शब्दों में व्यक्त किया है—**"शरीर के साथ हाथ का या वृक्ष के साथ पत्ते का जिस प्रकार सम्बन्ध होता है, वैसा ही समाज के साथ मनुष्य का होता है। समाज मानव में विद्यमान होता है और मानव समाज में।"**

नागरिकशास्त्र का अर्थ
(MEANING OF CIVICS)

नागरिकशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र प्रारम्भ में दोनों एक ही सामाजिक विज्ञान के रूप में माने जाते थे क्योंकि इन दोनों की उत्पत्ति पाश्चात्य जगत में यूनान के नगर-राज्यों से हुई। नागरिकशास्त्र अंग्रेजी के शब्द **'सिविक्स'** (Civics) का हिन्दी रूपान्तर है। 'Civics' शब्द का उद्‌गम लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुआ है—**'सिविस'** (Civis) तथा **'सिविटास'** (Civitas)। सिविस का अर्थ है—नागरिक तथा सिविटास का तात्पर्य है—नगर-राज्य। सिविक्स का व्युत्पत्ति अर्थ है—नगर-राज्य का नागरिक या सदस्य। इस प्रकार नागरिकशास्त्र मनुष्य का नागरिक के रूप में अध्ययन करने वाला शास्त्र है।

राजनीतिशास्त्र (Political Science) शब्द की उत्पत्ति **'पोलिस'** (Polis) शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ है—नगर-राज्य। अतः नागरिकशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र दोनों की उत्पत्ति प्राचीन काल के नगर-राज्यों से मानी जाती है। प्राचीन काल में मनुष्यों का सामाजिक जीवन इन नगर-राज्यों में ही केन्द्रित था। अतः नगर-राज्यों में केन्द्रित मनुष्यों के सामाजिक जीवन का अध्ययन करने वाले शास्त्र को नागरिकशास्त्र कहा गया। परन्तु आज के राज्य बहुत विशाल हैं, उनमें विभिन्न प्रान्तों, जिलों, नगरों, ग्रामों आदि का समावेश है। आज मनुष्य का सामाजिक जीवन नगर-राज्य तक ही सीमित न होकर विशालकाय राज्यों में केन्द्रित है। धीरे-धीरे नगर-राज्य विशाल राज्यों या राष्ट्रों में परिणित हो गये तथा विदेशियों को राष्ट्रीयता एवं दासों को स्वतंत्रता प्रदान कर उन्हें नागरीय अधिकार मिल गये। इस विकास की प्रक्रिया ने नागरिकता तथा नागरिकशास्त्र के क्षेत्र को व्यापक बना दिया।

नागरिकशास्त्र के लक्षण (Essentials of Civics)—नागरिकशास्त्र के अभिप्राय को जानने के लिये उसके लक्षणों पर ध्यान देना आवश्यक है। अतः उसके विविध लक्षण इस प्रकार हैं—

1. नागरिकशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय मानव के जीवन की सामाजिकता है।

2. मानव के सामाजिक व सामुदायिक जीवन के विविध रूप हैं—सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, बौद्धिक, धार्मिक आदि। नागरिकशास्त्र इन सभी रूपों पर विचार करता है।

3. समाज का सदस्य होने के कारण मनुष्य के जो कर्त्तव्य व अधिकार होते हैं, नागरिकशास्त्र उनका विवेचन करता है।

4. अपनी सामाजिकता के कारण मानव विभिन्न संघों या समुदायों का निर्माण करता है। इन संघों या समुदायों में 'राज्य' सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। नागरिकशास्त्र इन संघों या समुदायों में मनुष्य की सामाजिकता का विवेचन करता है। साथ ही इन समुदायों के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालता है।

नागरिकशास्त्र की परिभाषाएँ
(DEFINITIONS OF CIVICS)

नागरिकशास्त्र एक गतिशील विज्ञान है। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप विभिन्न विद्वानों ने इसको विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। इसकी विभिन्न परिभाषाओं को देखने पर हम इसके वास्तविक अर्थ को समझने में सफल हो सकते हैं। इस कारण कुछ परिभाषाएँ नीचे दी जा रही हैं—

अरस्तू—"नागरिकशास्त्र वह विज्ञान है जो सम्भव सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का अध्ययन करता है।"

"Civics is the science which studies the conditions of the best possible life."
—Aristotle

डॉ. ई. एम. ह्वाइट—"नागरिकशास्त्र न्यूनाधिक रूप से मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से सम्बन्धित सभी (सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा धार्मिक) पक्षों का प्रतिपादन करती है—चाहे वे भूतकाल, वर्तमान तथा भविष्य के हों, चाहे स्थानीय, राष्ट्रीय तथा मानवीय हों।"

"Civics is that more or less useful branch of human knowledge which deals with everything (*e. g.*, social, intellectual, economic, political and even religious aspect) relating to a citizen, past, present and future, local, national and human." **—Dr. E. M. White**

एफ. जे. गोल्ड—"नागरिकशास्त्र उन संस्थाओं, आदतों, क्रियाओं तथा भावनाओं का अध्ययन करता है जिनके द्वारा कोई स्त्री या पुरुष किसी राजनैतिक समाज की सदस्यता के कर्त्तव्य का पालन कर सके तथा सदस्यता से प्राप्त लाभों को ग्रहण कर सके।"

"Civics is the study of institutions, habits, activities and spirit by means of which a man or woman may fulfil the duties and receives the benefits of membership of a political community." **—F. J. Gould**

गैड्स—"नागरिकशास्त्र सामाजिक पर्यवेक्षण को समाज-सेवा में लगाने वाला व्यावहारिक ज्ञान है। सामाजिक समस्याओं तथा उनके विकास का ज्ञान कराना ही उसका उद्देश्य नहीं है वरन् समुदाय के प्रति सक्रिय भक्ति-भावना उत्पन्न कराना भी है।"

"Civics is the application of social survey to social service. The aim of civics is not only to give knowledge of social institutions and their growth, but also to inspire an active devotion to community." **—Geddess**

बाइनिंग तथा **बाइनिंग**—"नवीन नागरिकशास्त्र को प्रायः सामुदायिक नागरिकशास्त्र के नाम से पुकारा जाता है, जिसमें सामाजिक वातावरण के प्रति छात्र के सम्बन्धों पर बल दिया जाता है। इस सामाजिक वातावरण के अन्तर्गत स्थानीय समुदाय, ग्रामीण या नगरीय समुदाय, राज्यीय समुदाय, राष्ट्रीय समुदाय तथा विश्व-समुदाय आते हैं।"

"The new civics is frequently called community civics, to emphasize the pupil's relations to his social environment, which is conceived as a series or successively enlarged communities—the local community, the town or city community, the state community, the national community and the world community." —**Bining and Bining**

डॉ. बेनीप्रसाद—"नागरिकशास्त्र के मुख्य विषय समाज में मनुष्य के अधिकार तथा कर्त्तव्य हैं जिनको वह समाज में रहकर पूर्ण करता है।"

"In the context of social relationship, there are many duties, to be performed and correspondingly many rights to be respected. It is with them that civics is mainly concerned." —**Dr. Beni Prasad**

प्रो. पुन्ताम्बेकर—"नागरिकशास्त्र को इस बात का अध्ययन कहा जा सकता है कि व्यक्ति, उसके समाज तथा देश के लिए वस्तुतः सद्जीवन क्या है तथा इस अध्ययन द्वारा अर्जित ज्ञान का प्रयोग अतीतकालीन संस्कृति एवं वर्तमानकालीन आवश्यकताओं एवं वातावरण के अनुकूल जीवन व्यतीत करने के लिए किस प्रकार किया जा सकता है।"

"Civics may be stated to be a study of what is really good life for oneself, one's society and country and practice of knowledge gained in the best ways of life which are consonant with one's past culture and present needs and environment." —**Puntambekar**

विश्वकोश ब्रिटेनिका—"नागरिकशास्त्र समाज में मनुष्य के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का विज्ञान है।"

"Civics is the science of rights and duties of man in society." —**Encyclopaedia Britannica**

उपर्युक्त परिभाषाओं को देखने से नागरिकशास्त्र के विषय में निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं—

1. नागरिकशास्त्र का अध्ययन-विषय जीवन की सर्वोत्तम दशाएँ हैं।
2. यह शास्त्र नागरिक के विभिन्न पक्षों—सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, बौद्धिक आदि का अध्ययन करता है।
3. यह शास्त्र नागरिक के उक्त पक्षों का अध्ययन भूत, वर्तमान तथा भावी दृष्टिकोण से करता है।
4. नागरिकशास्त्र मनुष्य का अध्ययन राजनैतिक समाज के सदस्य के रूप में करता है।
5. यह शास्त्र सामुदायिक जीवन का अध्ययन करता है।
6. यह शास्त्र नागरिक के अधिकार एवं कर्त्तव्यों का अध्ययन करता है।
7. यह शास्त्र मानव निर्मित संस्थाओं का अध्ययन करता है।

नागरिकशास्त्र का क्षेत्र
(SCOPE OF CIVICS)

नागरिकशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। प्रत्येक विज्ञान का अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है जिसके अन्तर्गत उस विज्ञान का अध्ययन सीमित रहता है। सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाएँ हैं, जैसे—समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि। ये शास्त्र समाज के अन्तर्गत मनुष्य के जीवन के विभिन्न पक्षों का पृथक्-पृथक् अध्ययन करते हैं। उदाहरणार्थ, अर्थशास्त्र मनुष्य के आर्थिक पक्ष का अध्ययन करता है। राजनीतिशास्त्र राज्य का और इतिहास मानव के अतीत के क्रिया-कलापों का अध्ययन करता है। इस प्रकार प्रत्येक विषय का अपना-अपना अध्ययन-क्षेत्र होता है।

मनुष्य के सबसे उत्कृष्ट समुदाय या संघ को राज्य कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य अनिवार्य रूप से किसी न किसी राज्य का सदस्य या अंग होता है। इस कारण उसे नागरिक कहा जाता है।

प्राचीन काल में राज्य बहुत छोटे-छोटे थे, उनका विस्तार एक नगर तक या उसके आसपास की भूमि तक सीमित था। इस कारण उन्हें नगर-राज्य कहा गया। उनमें तीन वर्ग—विदेशी, नागरिक तथा दास निवास करते थे। नगर-राज्यों के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार केवल नागरिकों को था। अतः नागरिकशास्त्र का क्षेत्र नगर-राज्य की सीमा तथा उसके नागरिकों तक ही सीमित था जो अत्यन्त संकुचित था। परन्तु धीरे-धीरे नगर-राज्य विशाल राज्यों या राष्ट्रों में परिवर्तित होने लगे और विदेशियों को राष्ट्रीयता तथा दासों को स्वतंत्रता के अधिकार मिलने लगे। इससे नागरिकता एवं नागरिकशास्त्र का क्षेत्र व्यापक होने लगा।

नागरिक के रूप में मनुष्यों के जो अधिकार एवं कर्त्तव्य थे, नागरिकशास्त्र मुख्यतः उनका प्रतिपादन करता है। नागरिकशास्त्र का क्षेत्र धीरे-धीरे व्यापक होता गया। उसमें मानव-जीवन की वे सभी बातें समाहित हो गईं जो मनुष्य के सामुदायिक व सामाजिक जीवन से सम्बन्धित हैं। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है, किसी जाति या बिरादरी के साथ सम्बन्ध रखता है, किसी कारखाने, दफ्तर या फर्म में काम करके अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, किसी धार्मिक समुदाय का सदस्य होता है और किसी राज्य का अंग होता है। इन समस्त समुदायों द्वारा मनुष्य का सामुदायिक जीवन स्पष्ट किया जाता है। परिवार के प्रति, गोत्र, जाति या बिरादरी के प्रति, धार्मिक समुदाय के प्रति, दफ्तर, दुकान आदि में काम करने वाले अन्य लोगों के प्रति, अपने पड़ोस में निवास करने वाले मनुष्यों के प्रति, नगर या ग्राम के लोगों के प्रति, जिला एवं राज्य के प्रति मनुष्य के क्या कर्त्तव्य हैं और उनके साथ व्यवहार करते हुए उसे किस नीति का अनुसरण करना चाहिये, इन सब बातों पर नागरिकशास्त्र में विचार किया जाता है। नागरिकशास्त्र के विषय-क्षेत्र के बढ़ते हुए स्वरूप को निम्नांकित गोलाकार रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है—

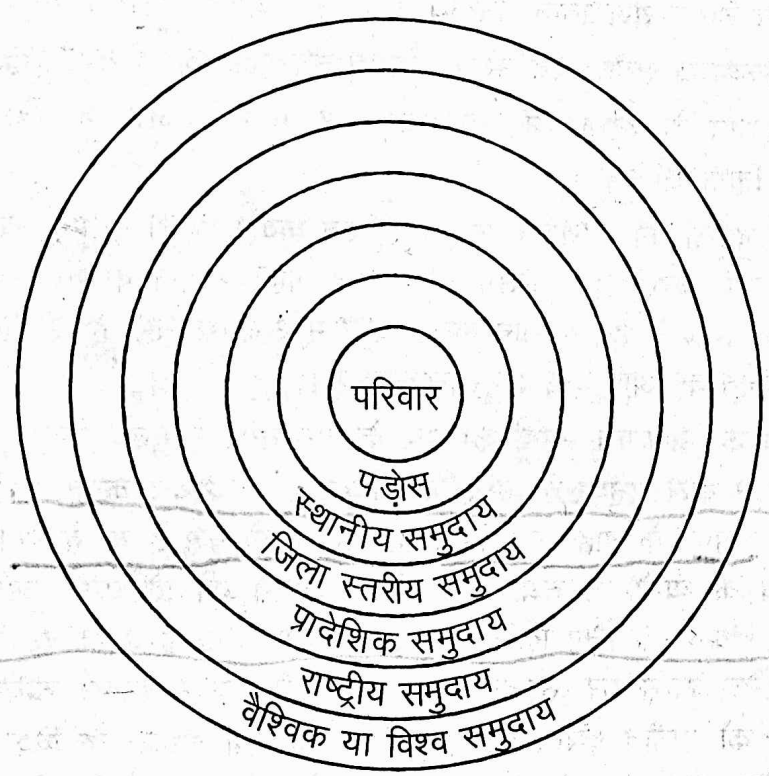

अतः हम कह सकते हैं कि नागरिकशास्त्र का क्षेत्र ऐसे वृत्त के समान है जिसका अर्द्ध-व्यास बढ़ता रहता है।

डॉ. ई. एम. ह्वाइट ने लिखा है, "नागरिकशास्त्र न्यूनाधिक रूप में मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिकों से सम्बन्धित सभी (सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा धार्मिक)

पक्षों का प्रतिपादन करता है—चाहे वे भूतकाल, वर्तमान तथा भविष्य से सम्बन्धित हों, चाहे स्थानीय, राष्ट्रीय तथा मानवीय हों।"

उपर्युक्त परिभाषा से नागरिकशास्त्र के क्षेत्र से सम्बन्धित निम्नलिखित बातें स्पष्ट हो जाती हैं—

(अ) नागरिकशास्त्र का अध्ययन अतीत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों से सम्बन्धित है।

(ब) नागरिकशास्त्र मनुष्य का एक सामाजिक सदस्य या नागरिक के रूप में अध्ययन करता है।

(स) नागरिकशास्त्र का विषय-क्षेत्र स्थानीय, राष्ट्रीय तथा मानवीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं से सम्बन्धित है।

ए. जे. शॉ (A. J. Shaw) के अनुसार, "नागरिकशास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह समस्त सामाजिक विज्ञानों की मुख्य विशेषताओं में सामंजस्य स्थापित करता है तथा उन्हें व्यावहारिक आधार प्रदान करता है।" आधुनिक सभ्यता के स्वरूप के परिवर्तित होने के कारण नागरिकशास्त्र का क्षेत्र दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आधुनिक नागरिकशास्त्र शहरी जीवन की समस्याओं तक सीमित नहीं है वरन् इसका सम्बन्ध राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं, राजनैतिक दलों, सामाजिक तनावों आदि से है। आधुनिक युग में नागरिक समस्याओं को आर्थिक, समाजशास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। अतः आधुनिक युग में नागरिकशास्त्र का क्षेत्र पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत हो गया है।

गोल्ड की परिभाषा द्वारा नागरिकशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित बातों का समावेश किया गया है—

(अ) नागरिकशास्त्र नागरिक के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का अध्ययन करता है।

(ब) नागरिकशास्त्र राजनैतिक समुदाय अर्थात् राज्य का अध्ययन करता है।

(स) नागरिकशास्त्र समाज एवं उसकी विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन करता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर नागरिकशास्त्र के विषय-क्षेत्र का निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत विवेचन किया जा रहा है—

(अ) तीनों कालों का अध्ययन—नागरिकशास्त्र केवल हमारी वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों का ही अध्ययन नहीं करता वरन् इसमें अतीत एवं भावी समाज के चित्र के भी दर्शन होते हैं। वस्तुतः अतीत के अभाव में हम वर्तमान को समझने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए वर्तमान को स्पष्ट करने के लिए अतीत की ओर देखना परमावश्यक है।

(ब) मानव का अध्ययन—नागरिकशास्त्र के अध्ययन की मुख्य विषय-वस्तु मानव है। परन्तु **यह समाज में रहने वाले मनुष्य के नागरिक जीवन का अध्ययन करता है।** जो समाज में जीवन व्यतीत करते हैं। समाज के बाहर जो रहता है, वह या तो पशु है या देवता। अतः नागरिकशास्त्र **सामाजिक मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामुदायिक जीवन की विवेचना करता है।** व्यक्ति अपनी निजी शक्तियों के विकास के लिए विभिन्न समुदायों, संघों, संगठनों आदि का निर्माण करता है। इन संस्थाओं का विभिन्न स्तरों पर संगठन किया जाता है। इनमें रहकर व्यक्ति अपने निजी तथा सामाजिक जीवन को व्यतीत करता है। साथ ही स्वयं तथा समाज के विकास में सहयोग प्रदान करता है। नागरिकशास्त्र इन समस्त समुदायों, संघों, संस्थाओं आदि से सम्बन्धित मानव का अध्ययन करता है।

(स) अधिकार तथा कर्त्तव्यों का अध्ययन—नागरिकशास्त्र मानव का नागरिक के रूप में अध्ययन करता है। नागरिक के नाते उसके क्या अधिकार तथा कर्त्तव्य हैं ? यह शास्त्र हमें बतलाता है कि व्यक्ति के नागरिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि क्या-क्या अधिकार हैं तथा हमें स्वयं अपने

प्रति, माता-पिता के प्रति, ग्राम या नगर के प्रति, समाज के प्रति, राज्य एवं राष्ट्र तथा विश्व के प्रति किन-किन कर्त्तव्यों का पालन करना चाहिए। नागरिकशास्त्र में यह भी अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति तथा समाज के लिए अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का क्या महत्त्व है ? राज्य अधिकारों के अस्तित्व को बनाये रखने में क्या सहयोग देता है ? अधिकारों तथा कर्त्तव्यों में क्या पारस्परिक सम्बन्ध है ? आदि बातों का परिचय इस शास्त्र द्वारा दिया जाता है। नागरिकशास्त्र वस्तुतः आदर्श नागरिक एवं आदर्श सामाजिक जीवन व्यतीत करने की कला का ज्ञान प्रदान करता है।

मानव जीवन के प्रारम्भिक काल से व्यक्ति तथा राज्य के सम्बन्धों की समस्या जटिल बनी रही है और सामाजिक विकास के लिए यह जरूरी है कि इन दोनों (व्यक्ति तथा राज्य) के बीच उचित सम्बन्धों की स्थापना हो। इस कार्य में नागरिकशास्त्र के अध्ययन द्वारा सहायता दी जाती है। मानव अधिकारों का ज्ञान प्राप्त करके अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास करने में समर्थ हो सकता है और कर्त्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करके समाज तथा राज्य की उन्नति में योगदान दे सकता है। नागरिकशास्त्र मानव को अधिकार एवं कर्त्तव्यों का ज्ञान प्रदान कर उसे समाज की श्रेष्ठतम इकाई के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। **अरस्तू** का कथन है—**"कानून द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य समस्त प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है किन्तु जब वह बिना कानून तथा न्याय के जीवन व्यतीत करता है तब वह सबसे अधिक भयंकर हो जाता है।"**

(द) समाज का अध्ययन—समाज का अध्ययन नागरिकशास्त्र की विषय-वस्तु का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में ही जन्म लेता है, उसी में निवास करता है तथा उन्नति करता है और उसी में उसका अन्त हो जाता है। व्यक्ति तथा समाज के सम्बन्ध इसके क्षेत्र में आते हैं। इस कारण नागरिकशास्त्र में समाज का व्यापक रूप में अध्ययन किया जाता है। इसमें समाज का अतीत क्या था, उसका वर्तमान स्वरूप क्या है तथा उसका भावी स्वरूप क्या होना चाहिये ? का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार नागरिकशास्त्र के अध्ययनकर्त्ता का दृष्टिकोण क्रमशः एक इतिहासज्ञ, एक वैज्ञानिक तथा एक दार्शनिक का होता है। वह इतिहासज्ञ के रूप में समाज के अतीत का आकलन करता है, एक वैज्ञानिक के रूप में समाज के आधुनिक स्वरूप को देखता है तथा एक दार्शनिक के रूप में समाज के भावी स्वरूप का निर्माण करता है। इस रूप में नागरिकशास्त्र एक आदर्श सामाजिक जीवन का दर्शन हो जाता है।

(य) राज्य तथा सरकार का अध्ययन—नागरिकशास्त्र की विषय-वस्तु का महत्त्वपूर्ण अंग राज्य का अध्ययन है। राज्य नागरिक के अधिकार एवं कर्त्तव्यों की व्यवस्था करता है। राज्य के आवश्यक तत्त्व क्या हैं ? राज्य के क्या कार्य होते हैं ? सरकार किसे कहते हैं ? सरकार के अंग तथा भेद क्या होते हैं ? आदि का अध्ययन इसके अन्तर्गत किया जाता है। इसमें राज्य के आधुनिक स्वरूप, उद्देश्य तथा कार्य-प्रणाली का अध्ययन किया जाता है और वह यह भी देखता है कि वे व्यक्ति के लिए कहाँ तक हितकारी हैं ? इसमें राज्य के आदर्श स्वरूप पर भी विचार किया जाता है।

(र) संविधान का अध्ययन—नागरिकशास्त्र में संविधान का भी अध्ययन किया जाता है। संविधान उन नियमों, कानूनों आदि को स्पष्ट करता है जिनके द्वारा देश के नागरिकों का जीवन संचालित होता है। इसमें संविधान के भेद, उनके गुण एवं दोष आदि का अध्ययन किया जाता है। इसकी विषय-वस्तु के अध्ययन से छात्र यह जानने में समर्थ हो सकते हैं कि एक राज्य विशेष के लिए किस प्रकार का संविधान सर्वाधिक उपयुक्त हो सकता है ?

(ल) अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास ने विश्व को एक बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। औद्योगिक क्रान्ति ने विश्व के विभिन्न देशों को अन्योन्याश्रित कर दिया है। साथ ही विभिन्न संस्कृतियों के सम्मिश्रण पर बल दिया। इस व्यापकता ने विभिन्न समस्याओं को जन्म दिया है और जनाधिक्य ने भी विभिन्न समस्याओं को जन्म दिया है। इन

समस्याओं—गरीबी, शिक्षा, आतंकवाद आदि के समाधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाये जा रहे हैं। नागरिकशास्त्र में इनका अध्ययन किया जाता है।

(व) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन—मानव जाति की भलाई के लिए विश्व के अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय संगठन कार्य कर रहे हैं। मानव जाति को विध्वंस से बचाने के लिए राष्ट्रसंघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवजाति के हित के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण किया, उदाहरणार्थ—विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि। नागरिकशास्त्र में इन संगठनों के विषय में अध्ययन किया जाता है।

(श) लोकतान्त्रिक व्यवस्था का अध्ययन—फ्रेंच क्रान्ति ने लोकतान्त्रिक धारणाओं—स्वतन्त्रता, समानता तथा भ्रातृत्व की नींव डाली और लोकतान्त्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। धीरे-धीरे सम्पूर्ण विश्व में लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए कदम उठाये गये जिससे विभिन्न देशों में लोकतान्त्रिक जीवन के ढंगों के अनुसार कार्य किये जाने लगे। लोकतान्त्रिक व्यवस्था के संगठन का ज्ञान भी नागरिकशास्त्र के अन्तर्गत आता है। इसमें मताधिकार, जनमत, जनमत-निर्माण के साधनों, मताधिकार की विभिन्न पद्धतियों आदि का अध्ययन किया गया है।